राजस्थान – सरकार

्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस.

ख्या– 17/24 प्रा०पत्र

श्री ऽ/० श्री लालु बलाई निवासी- बलाईखेड़ा तहसील माण्डल – प्रार्थी

बनाम

गोपाल ऽ/० श्री नरदा बलाई निवासी- बलाईखेड़ा तहसील माण्डल (कोर्ट) (मृतकरिक्त ...) – विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :– 19.3.24

:: आदेश ::

ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम बोरड़ाखेड़ा.......... पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते खाते की आराजी न0 385, 386, 408 कुल किता 03 रकबा 0.4679 . हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही ये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / सयुक्त खाते की त्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

र्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-02.24 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को र्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बोरड़ाखेड़ा ..... पटवार हल्का माण्डल I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की न0 385, 386, 408 कुल किता 03 रकबा 0.4679 हैक्टेयर चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता गढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रूपये /– फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मै मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को खते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.04.24 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

प्र:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार गढ़ी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

CamScanner